अपग्रेड प्रोफार्मा (ग्रामीण सेवा) और सीटलिविंग बंधपत्र).

प्रारुप–2 (संशोधित)

(अनुसूची–3–11 (i) (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)

सीट लीविंग बॉण्ड एवं ग्रामीण सेवा बॉण्ड शपथ पत्र

(रू. 500 के नान जूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाये)

(Proforma for whose candidate. Who wants to participate in Next Round of Counselling)

1. मै (छात्र/छात्रा का नाम) ....
   पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
   निवासी – ....
   मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।
2. मैने मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के म0प्र0 चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, संशोधन दिनांक 19 जून 2019, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021, संशोधन दिनांक 26 जुलाई 2022, संशोधन दिनांक 10 मई 2023 तथा संशोधन दिनांक 02 जुलाई 2024 को भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैने म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2022 भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
4. म0प्र0 के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम चरण में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश के समय ग्रामीण सेवा एवं सीट लीविंग बॉण्ड का निष्पादन सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र पर किया जाना है।

सीट लीविंग बॉण्ड

- **अ** – मै चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी।
- **ब** – यह कि मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्याग पत्र दिये जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मै संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वाशासी समिति को सीट लीविंग बांड राशि रू. 30,00,000/– (रू. तीस लाख) का भुगतान करने का वचन देता/देती हूं।
- **स** – यह कि, सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगे।

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

- **अ** – मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
- **ब** – **गैर सेवारत अभ्यर्थी** – ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रू0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

- **स** – शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बाण्ड संबंधित संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा।

- **द – सेवारत अभ्यर्थी** – ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पॉच वर्ष होगी एवं सेवा न करने की स्थिति मे डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रू0 50 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

- **ध** – चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत् कार्यरत् सेवारत् अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् पॉच वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बाण्ड के अंतर्गत पॉच वर्ष की सेवा न करने पर बाण्ड राशि रू. 50 लाख जमा करने होगे।

- **च** – यह कि, ग्रामीण सेवा बाण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेगे।

सत्यापन

मैं वचन देता हूँ कि अगंले चरण की काउंसलिंग में रिएलोकेट नही होने कि स्थिति में –

1. **गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए** – ग्रामीण सेवा बॉण्ड जो रू. 10 लाख निर्धारित है का 0.5 प्रतिशत अर्थात रू. 5000/– मात्र के नान जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निष्पादित करूंगा।

अथवा

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए – ग्रामीण सेवा बॉण्ड जो रू. 50 लाख निर्धारित है का 0.5 प्रतिशत अर्थात रू. 25000/– मात्र के नान जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निष्पादित करूंगा।

2. सीट लीविंग बाण्ड राशि समस्त पाठ्यक्रमों एवं अभ्यर्थियों हेतु रू. 30 लाख हैं, स्टाम्पित शपथ पत्र सीट लीविंग बाण्ड हेतु रू. 15 हजार (रू. 30 लाख का 0.5 प्रतिशत) के नान जूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित करूंगा।

यह कि ग्रामीण सेवा बाण्ड एवं सीट लीविंग बाण्ड स्टाम्पित शपथ पत्र समय –सीमा में प्रस्तुत ना करने की स्थिति में इस चिकित्सा महाविद्यालय से मेरा प्रवेश अधिष्ठाता द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर ,नाम, पता, मोबाइल नम्बर)

1.

2.

Permanent Admission

प्रारूप–2(क) (संशोधित)

(अनुसूची–3–11 (i) स्नातकोत्तर पाठयक्रम हेतु)

(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

सीट लिविंग बॉण्ड

फोटो

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023 तथा संशोधन 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ मैं चिकित्सा (MD/MS)/ दंत चिकित्सा (MDS) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

ब यह कि, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 के संशोधित नियम.................. में उल्लेखित नियम 15 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा/शासकीय** दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि एमडी/एमएस/एमडीएस पाठ्यक्रम के लिये रू0 **30,00,000**/– (रू0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ । निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में **प्रवेश की स्थिति में त्याग पत्र दिये जाने/निष्कासन पर** पाठयक्रम की पूर्ण अवधी/ शेष अवधि का शैक्षणिक शुल्क का भुगतान शासन को **करने का वचन देता/देती हूँ।**

स यह कि सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगें।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1....................................

2....................................

Permanent Admission.

प्रारूप–2 (ख)(संशोधित)

(अनुसूची–3–11 (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

फोटो

ग्रामीण सवा बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023 तथा संशोधन 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ– मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर (**MD/MS**/(**MDS**) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब– **गैर सेवारत अभ्यर्थी –ग्रामीण सेवा की** विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु एक वर्ष होगी एवं बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

स– शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संबंधित संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम पर निष्पादित करना होगा।

द– **सेवारत अभ्यर्थी– ग्रामीण सेवा की** विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम हेतु क्रमशः पांच वर्ष की होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 50 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

ध– चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सेवारत अभ्यर्थी को पाठयक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रूपये 50 लाख जमा करने होंगे।

च– यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1....................................

2....................................